law including levy of penalty and launching of prosecution will be taken wherever warranted

केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार के कार्यालय में पेंशन के अनिर्णीत मामले

***567. श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री आर० वी० बड़े :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार के कार्यालय में पेंशन के कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) इनमें से कितने मामले एक वर्ष से अधिक वर्ष के हैं ;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें बिना पेंशन पाने से पहले ही पेंशन प्राप्तियों का निधन हो गया और उनके आश्रितों को पेंशन का भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की सुनिश्चित व्यवस्था बनाने का है, जिससे कि पेंशनर को सेवानिवृत्त होने के तीन मास के अन्दर ही पेंशन मिलनी आरम्भ हो जाए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन संबंधी लाभों को उदार बनाने से संबंधित सरकारी आदेशों के परिणामस्वरूप जिन मामलों में पेंशन का संशोधन आवश्यक हो गया था उनको छोड़कर 15 नवम्बर, 1974 तक महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय में प्राप्त मामलों में से फिलहाल 33 मामले निपटाने के लिए निर्णीत पड़े हैं ।

(ख) 1973 2

1974 31 (24 मामले जनवरी से लेकर सितम्बर, 1974 तक की अवधि से तथा 7 मामले अक्तूबर से 15 नवम्बर, 1974 तक की अवधि से संबंधित है)

(ग) 4 (ये ऐसे मामले है जिनमे व्यक्तियों की मृत्यु सेवाकाल में ही हो गयी । इन मामलों को महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व द्वारा तैयार किया जा रहा है । इनको अन्तिम स्वरूप देते ही आश्रितों का भुगतान कर दिया जाएगा)

(घ) पेंशन की मंजूरी शीघ्र देने के उद्देश्य से नियमों में समय-समय पर संशोधन अथवा सुधार किए गये हैं--उदाहरणार्थ पेंशन संबंधी कागजातों का सेवा निवृत्ति से दो वर्ष पहले तैयार किया जाना, 25 वर्षों की सेवा पूरी कर लेने पर सेवा का सत्यापन, संगत रिकार्डों के अभाव में जहां आवश्यक हो, मौखिक साक्ष्य के आधार पर सेवा का सत्यापन आदि । जहां इन उपायों के बावजूद, पेंशन की मंजूरी देने में फिर भी कुछ विलम्ब होने की संभावना हो उन मामलों में सरसरी तौर पर की गई संगणना के आधार पर अनन्तिम पेंशन तथा स्वीकार्य उत्पादन की तीन चौथाई राशि के भुगतान की व्यवस्था भी नियमों में की गई है ।

Rationalisation of Tax Procedure

*568 SHRI RAJDEO SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether Government propose to rationalise Income-tax procedures so that evasion is minimised;